GCMS NO. 2025 / 47

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारीः– पंकज शर्मा
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

मुकदमा नम्बर :– 16 / 2025 (खैरू बनाम राज0 सरकार)

निर्णय दिनांक :– 21.05.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, पंकज शर्मा (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 21.05.2025 द्वारा पारित निर्णयानुसार राजस्व ग्राम टमकोर पटवार हल्का टमकोर में अवस्थित भूमि ख.न. 577, 888, 914, 915, 207, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 784, 785, 786, 800 कुल किता 15 कुल रकबा 19.76 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीया का नाम खैरू निशा पत्नी अब्बास अली के स्थान पर सही एवं सत्य दस्तावेजी नाम खैरू पत्नी अबास दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार मलसीसर उक्त निर्णय की पालना करें। पूर्व का बैंक रहन घोषित काश्तकारान् पर नियमानुसार दर्ज किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

मेरे दस्तखत व मुहर आदलत से आज तारीख 21.05.2025 को जारी की गई।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : पंकज शर्मा
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 16/2025 (GCMS NO. 2025/47)

खैरू पत्नी अबास जाति व्यापारी निवासी टमकोर तहसील मलसीसर।

—वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार मलसीसर जिला झुंझुनूं।

—प्रतिवादी

<u>दावा बाबत घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती</u>

विद्वान अधिवक्ता वादी — जयसिंह गौड़
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी —

निर्णय

निर्णय दिनांक 21.05.2025

संक्षेप में वादी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम टमकोर पटवार हल्का टमकोर में अवस्थित भूमि ख.न. 577, 888, 914, 915, 207, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 784, 785, 786, 800 कुल किता 15 कुल रकबा 19.76 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीया नाम खैरू निशा पत्नी अब्बास अली दर्ज है जो कि गलत है। वादीया का सही एवं सत्य दस्तावेजी नाम खैरू पत्नी अबास है और इसी नाम से समस्त दस्तावेज बना रखे है। जिसे वादी दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। वादी द्वारा वाद वर्णित भूमि में उक्त गलत राजस्व रिकार्ड की पहले कभी जानकारी नहीं थी। वादी को उक्त रोज राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने पर गलत राजस्व रिकार्ड की जानकारी प्राप्त हुई जिस कारण यह वाद श्रीमान के न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलवाना जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादीगण की तामिल पूर्ण हो चुकी है। वादी के वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य के रूप में प्रार्थी/गवाह रशीद पुत्र गुलाब व इकबाल पुत्र इब्राहिम ने अपना शपथ पत्र पेश कर वादीया का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करने का निवेदन किया। वादीया के आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, ई–श्रम कार्ड, मतदाता पहयान पत्र, राशन कार्ड तथा बैंक पास बुक में वादीया का नाम खैरू पत्नी अबास दर्ज है।

साक्ष्य पूर्ण होने पर विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस श्रवण की गई। दौरान बहस विद्वान अधिवक्ता ने वाद पत्र के तथ्यों का दोहराया एवं सलंग्न दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकार्ड

42

दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। समस्त तथ्यों, साक्ष्य सबूतों एवं उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर वादीया उक्त वर्णित ग्राम टमकोर पटवार हल्का टमकोर में अवस्थित भूमि ख.न. 577, 888, 914, 915, 207, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 784, 785, 786, 800 कुल किता 15 कुल रकबा 19.76 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीया का नाम खैरू निशा पत्नी अब्बास अली के स्थान पर सही एवं सत्य दस्तावेजी नाम खैरू पत्नी अबास दुरूस्त किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। समस्त तथ्यों, शपथ पत्र व उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम टमकोर पटवार हल्का टमकोर में अवस्थित भूमि ख.न. 577, 888, 914, 915, 207, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 784, 785, 786, 800 कुल किता 15 कुल रकबा 19.76 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीया का नाम खैरू निशा पत्नी अब्बास अली के स्थान पर सही एवं सत्य दस्तावेजी नाम खैरू पत्नी अबास दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार मलसीसर उक्त निर्णय की पालना करें। पूर्व का बैंक रहन घोषित काश्तकारान् पर नियमानुसार दर्ज किया जावे। पत्रांवली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर